>

Title: Need to strengthen and elevate embankments of Sikarhana-Burhi Gandak river in Bihar to prevent annual floods in the region.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : नियम 377 के तहत मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के सिकरहना–बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध की स्थिति अत्यंत जर्जर है जिससे मधुबन–चिरैया–ढाका–पकडीदयाल के तटबंध खतरनाक स्थिति में आ गये हैं। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के जानकारी रहने के बावजूद इस पर कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पायी है। इन तटबंधों की दयनीय स्थिति को देखने से पता चलता है कि वर्षों से उक्त तटबंध के ऊंचीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं किया गया है जिससे वर्षा के दिनों में नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल प्रवाह से सिकरहना नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा लाखों हेक्टेयर फसल एवं बड़ी आबादी तबाह हो जाती है। पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले चनपटिया–सुगौली–लालबगेया–चिरौ–ढाका–मधुबन–पकड़ीदयाल–कटैया–सेमरा–मोतीपुर तक सिकरहना–बूढ़ी गंडक नदी का 143 कि.मी. बायां व दायां तटबंध के ऊंचीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य होने से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकेगी, जिससे पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिले की कृषि उत्पादन क्षमता भी कई गुणा बढ़ जायेगी तथा बाढ़ से होने वाली तबाही से बड़ी आबादी को निजात मिल सकेगा।

सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र उपरोक्त तटबंधों के ऊंचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जनहित में कराया जाये।